प्रेस नोट संख्या- 15

दिनांक 06.04.2025

सराहनीय कार्य थाना बाजार शुक्ल व स्वाट/सर्विलांस टीम जनपद अमेठी

थानाक्षेत्र बाजारशुक्ल में हुई चोरियों का खुलासा, अर्न्तजनपदीय गैंग के 06 शातिर चोर गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 14 जोड़ी पायल सफेद धातु, 09 बिछिया सफेद धातु, 02 कड़ा सफेद धातु, 40 प्लेट स्टील, 35 थाली स्टील, 64 कटोरी, 67 गिलास आदि घरेलू उपयोग के बरतन, 04 मोटरसाइकिल, 01 बोलेरो गाड़ी, 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 मोबाइल व 31200/- रुपये नगद बरामद।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.04.2025 को उ0नि0 श्री दयाशंकर मिश्र थानाध्यक्ष बाजारशुक्ल मय हमराह तलाश वांछित व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन क्षेत्र में मौजूद थे उसी समय उ0नि0 श्री अनूप कुमार सिंह प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम जनपद अमेठी मय हमराह मौके पर आ गये तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 01 बोलेरो व 04 मोटरसाइकिल के साथ कुछ संग्दिध व्यक्ति चोरी के सामान के साथ ऊंचगांव टोलप्लाजा के पास हैदरगढ़ जाने वाली सर्विस लेन के बगल ग्राम हुसैनपुर के पास बाग में मौजूद हैं। उक्त सूचना पर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेरकर हिकमतअमली से 04 मोटरसाइकिल व 01 बोलेरो गाड़ी के साथ 06 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। **पूछने पर एक ने अपना नाम** वकील उर्फ सेनापति पुत्र मंजूर खान निवासी ग्राम इटौंजा थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या उम्र करीब 40 वर्ष बताया जिसके कब्जे से 01 मोटरसाइकिल प्लेटिना सं0 यूपी 44 डीजे 8565, 01 तमंचा 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 04 पायल सफेद धातु, 3500/- रुपये नगद तथा मोटरसाइकिल पर बधी बोरी से 40 अदद स्टील की प्लेट व 35 अदद स्टील की थाली बरामद हुई। **दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम** चाँद मोहम्मद उर्फ बादशाह पुत्र मंजूर खान निवासी ग्राम इटौंजा थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या उम्र करीब 24 वर्ष बताया जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बजाज पल्सर सं0 यूपी 36 वी 1183, 03 पायल, 02 जोड़ी बिछुआ सफेद धातु, 3000/-रुपये नगद तथा मोटरसाइकिल पर बंधी बोरी से 62 कटोरी, 67 गिलास, 09 लोटा व 06 करछुल बरामद हुआ, **तीसरे ने अपना नाम** शिवदर्शन कुमार पुत्र वीपत निवासी ग्राम इटौंजा थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या उम्र करीब 28 वर्ष बताया जिसके कब्जे से 01 मोटरसाइकिल प्लेटिना सं0 यूपी 42 एसी 3950, 03 पायल, 01 वीवो मोबाइल फोन, 3200/-रुपये नगद तथा मोटरसाइकिल पर बंधी बोरी से टिफिन, पानदान, डेलू, तस्ला, पल्टा, डिब्बा आदि बरामद हुआ, **चौथे व्यक्ति ने अपना नाम** रामू पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी उसकामऊ थाना हलियापुर जनपद सुलतानपुर उम्र करीब 32 वर्ष बताया जिसके कब्जे से 01 मोटरसाइकिल हीरो होन्डा स्पलेण्डर प्रो सं0 यूपी 41 आर 3956, 02 पायल, 02 कड़ा सफेद धातु, 3500/- रुपये नगद तथा मोटरसाइकिल पर बंधी बोरी से 02 परात, 03 कढाई, 04 पतीली, जग आदि बरामद हुआ। **बोलेरो सवार पांचवे व्यक्ति ने अपना** नाम नासिर हुसैन पुत्र कदीर निवासी महमदपुर थाना भाले सुल्तान जनपद अमेठी उम्र करीब 20 वर्ष बताया जिसके कब्जे से 02 पायल, 05 बिछुआ, 3000/-रुपये नगद तथा बोलेरो गाड़ी से विभिन्न कपडे, 04 भगौना, 02 स्टील की पानी की टंकी, फ्राईदान, केतली, मिक्सर, बटुला, फूलथाली आदि विभिन्न घरेलू उपयोग के बरतन, 04 बंडल बिजली के तार व 02 अदद लोहे का आला नकब बरामद हुआ। **छठे व्यक्ति ने अपना** नाम रामराज पाण्डेय पुत्र रामबरन पाण्डेय निवासी राममोल पाण्डेय का पुरवा मजरे तेंदा थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या उम्र करीब 45 वर्ष बताया जिसके कब्जे से 01 परात तांबा, 01 परात, 02 गिलास, 02 कटोरा, 01 करछुल पीतल का व 15000/- रुपये नगद बरामद हुआ।

पूछताछ में अभियुक्त वकील उर्फ सेनापति ने बताया कि हम लोग इसी बोलेरो व मोटरसाइकिलों से जाकर घरों में ताला तोडकर चोरी करते है व चोरी के सामान को इसी बोलेरो व मोटरसाइकिल पर लादकर भाग जाते है। बरामद सभी सामान अलग-अलग गांव में चोरी की घटना का है जिसे मैं व मेरा भाई चाँद उर्फ बादशाह व मेरे साथी शिवदर्शन, रामू, नासिर हुसैन ने थानाक्षेत्र बाजारशुक्ल व थानाक्षेत्र सुबेहा में चोरी किये थे जिसमें चोरी के कुछ सामान पूर्व में हम लोग कबाड़ी रामराज पाण्डेय को बेच दिये थे। कुछ सामान शेष बचा था जिसे आज रामराज पाण्डेय को बेचने के लिए हम लोग इक्कठा हुये थे। अभियुक्त वकील उर्फ सेनापति ने बताया कि दिनांक 15/16.03.2025 की रात्रि में ग्राम पूरे शिवसिंह में एक घर का ताला तोड़कर गहने, बरतन व अनाज चोरी कर लिये थे एवं उसी रात्रि में उसी गांव के बगल एक घर से 02 मोबाइल फोन चोरी कर लिये थे। उस चोरी के अनाज व बरतन हम लोग कबाड़ी रामराज पाण्डेय को बेच दिये थे। इसी

प्रकार दिनांक 02.04.2025 को ग्राम पूरे भाले में 02 घरो से ताला तोड़कर घरेलू उपयोग के बरतन, गहने, कपड़े आदि चोरी किये थे। इसके अलावा हम लोग दिनांक 21.03.2025 की रात्रि में थानाक्षेत्र सुबेहा के ग्राम पूरे कुमार मगौवा के घर में ताला तोड़कर, दिनांक 23.03.2025 की रात्रि में ग्राम गेरावा में घर का ताला तोड़कर चोरी किये थे। दिनांक 29/30.03.2025 की रात्रि ग्राम नीमपुर में एक स्कूल के कमरे से मिक्सर, भगौना चोरी कर लिये थे। बरामद बोलेरो व मोटरसाइकिलों के कागज मांगने पर दिखा न सके तथा मोटरसाइकिल पल्सर सं0 यूपी 36 वी 1183 को अभियुक्त चाँद मोहम्मद ने दिनांक 04.03.2025 को थानाक्षेत्र बाजारशुक्ल के मोहनापूरब गांव के तालाब के पास से चोरी करना बताया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का चोरी का एक अन्र्तजनपदीय गैंग है जो विभिन्न जनपदो में घूमकर चोरी करते है। इनके विरुद्ध विभिन्न जनपदो में लूट, चोरी सहित विभिन्न अपराधों के अभियोग पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों को समय करीब 05.00 सुबह गिरफ्तार कर थाना बाजारशुक्ल द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. वकील उर्फ सेनापति पुत्र मंजूर खान निवासी ग्राम इटौंजा थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या उम्र करीब 40 वर्ष।
2. चाँद मोहम्मद उर्फ बादशाह पुत्र मंजूर खान निवासी ग्राम इटौंजा थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या उम्र करीब 24 वर्ष।
3. शिवदर्शन कुमार पुत्र वीपत निवासी ग्राम इटौंजा थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या उम्र करीब 28 वर्ष।
4. रामू पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी उसकामऊ थाना हलियापुर जनपद सुलतानपुर उम्र करीब 32 वर्ष।
5. नासिर हुसैन पुत्र कदीर निवासी महमदपुर थाना भाले सुल्तान जनपद अमेठी उम्र करीब 20 वर्ष।
6. रामराज पाण्डेय पुत्र राम बरन पाण्डेय निवासी राममोल पाण्डेय का पुरवा मजरे तेंदा थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या उम्र करीब 45 वर्ष।

बरामदगी-

1. चोरी की 14 जोड़ी पायल सफेद धातु, 09 बिछिया सफेद धातु, 02 कड़ा सफेद धातु, 40 प्लेट स्टील, 35 थाली स्टील, 64 कटोरी, 7 गिलास, 09 स्टील लोटा, 01 पीतल लोटा, 47 चम्मच, 06 कलछुल, 02 पलटा, 01 पीतल पानदान, 03 डेलू स्टील ढक्कन सहित, 02 जस्ता डिब्बा, 02 स्टील तस्ला, 01 परात तांबा, 02 फूल थाली, 01 बधना, 04 भगौना, 01 रोटीदान, 01 जग, 01 चाय केतली, 01 फ्राई दान, 02 स्टील पानी की टंकी ढक्कन सहित, 01 मिक्सर, 01 बोतल व 01 पीतल बटुला आदि घरेलू उपयोग के बरतन।
2. कुल 31200/- रुपये नगद।
3. 01 अदद बोलेरो गाड़ी बिना नम्बर।
4. 04 अदद मोटर साइकिल ।
5. 01 अदद वीवो मोबाइल।
6. 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 46/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 53/25 धारा 305, 331(4), 317(2), 317(4) बीएनएस थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी।
3. मु0अ0सं0 74/25 धारा 305, 331(4), 317(2), 317(4) बीएनएस थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी।
4. मु0अ0सं0 94/25 धारा 305A, 331(2) बीएनएस थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी।
5. मु0अ0सं0 95/25 धारा 305A, 331(2) बीएनएस थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना बाजारशुक्ल

1. थानाध्यक्ष श्री दयाशंकर मिश्र थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 गुलाब सिंह थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी।
4. हे0का0 अंकेश कुमार थाना बाजारशुक्लजनपद अमेठी।
5. हे0का0 बृजेन्द्र कुमार थाना बाजारशुक्लजनपद अमेठी।

6. हे0का0 राज बहादुर यादव थाना बाजारशुक्लजनपद अमेठी।
7. हे0का0 जगदम्बा थाना बाजारशुक्लजनपद अमेठी।
8. का0 कृष्णवीर चाहर थाना बाजारशुक्लजनपद अमेठी।

स्वाट/सर्विलांस टीम

1. उ0नि0 श्री अनूप कुमार सिंह प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम जनपद अमेठी।
2. हे0का0 आलोक सिंह स्वाट टीम जनपद अमेठी।
3. हे0का0 पवनेश यादव सर्विलांस टीम जनपद अमेठी।
4. का0 शिवराम स्वाट टीम जनपद अमेठी।
5. का0 सिकन्दर स्वाट टीम जनपद अमेठी।

अभियुक्त वकील उर्फ सेनापति का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 73/23 धारा 380,411,457 भादवि थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 103/23 धारा 380,411,457 भादवि थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
3. मु0अ0सं0 116/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
4. मु0अ0सं0 126/20 धारा 8ए(सी)/21(सी) एनडीपीएस एक्ट थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
5. मु0अ0सं0 128/24 धारा 380,411,457 भादवि थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
6. मु0अ0सं0 353/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
7. मु0अ0सं0 135/22 धारा 379 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
8. मु0अ0सं0 270/19 धारा 392,411 भादवि थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या।
9. मु0अ0सं0 61/19 धारा 392,411,457 भादवि थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।
10. मु0अ0सं0 93/23 धारा 380,411,457 भादवि थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।
11. मु0अ0सं0 94/23 धारा 380,411,457 भादवि थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।
12. मु0अ0सं0 109/23 धारा 380,411,457 भादवि थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।
13. मु0अ0सं0 119/23 धारा 380,411,457 भादवि थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।
14. मु0अ0सं0 128/23 धारा 380,411,457 भादवि थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।
15. मु0अ0सं0 132/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।
16. मु0अ0सं0 146/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।
17. मु0अ0सं0 147/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।
18. मु0अ0सं0 161/23 धारा 3(1) यूपी गैंगे0 थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।
19. मु0अ0सं0 367/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।
20. मु0अ0सं0 399/17 धारा 379 भादवि थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।
21. मु0अ0सं0 141/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खण्डासा जनपद अयोध्या।
22. मु0अ0सं0 29/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खण्डासा जनपद अयोध्या।
23. मु0अ0सं0 129/19 धारा 380,411,457 भादवि थाना खण्डासा जनपद अयोध्या।
24. मु0अ0सं0 273/18 धारा 392,411 भादवि थाना खण्डासा जनपद अयोध्या।
25. मु0अ0सं0 556/22 धारा 135ए(1) भारतीय विद्युत अधि0 थाना एन्टीथेफ्ट जनपद गौतमबुध्दनगर।
26. मु0अ0सं0 210/20 धारा 379,411,511,41 भादवि थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर।

अभियुक्त चांद मोहम्मद उर्फ बादशाह का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 502/20 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना खण्डासा जनपद अयोध्या।

अभियुक्त रामू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 212/18 धारा 457,380,411 भादवि थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर।